अनुबंध-7

एलबीएस – एमआईएस

..... को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि दर्शानेवाला विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम: **संख्या वास्तविक रूप में, राशि हजार रूपए में**

क्र. सं.	क्षेत्र	(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (ख) निजी क्षेत्र के बैंक (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (घ) लघु वित्त बैंक (ड़) ग्रामीण सहकारी बैंक (एसटीसीबी और डीसीसीबी)								कुल (क+ख+ग+घ+ड़)							
		एसीपी लक्ष्य (वार्षिक निर्धारण)		चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (संवितरण)		उपलब्धि % (संवितरण)		बकाया राशि		एसीपी लक्ष्य (वार्षिक निर्धारण)		चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (संवितरण)		उपलब्धि % (संवितरण)		बकाया राशि	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (1क+1ख+1ग+1घ+1ड़+1च+1छ+1ज)**																
1क	कृषि= 1क(i)+1क(ii)+1क (iii)																
1क(i)	कृषि ऋण																
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना																
1क(iii)	अधीनस्थ गतिविधियां																
	उपरोक्त 1क(iii) में से, कृषि और संबद्ध सेवाओं में लगे स्टार्ट-अप को रु.50 करोड़ तक का ऋण																
	कृषि में से, लघु और सीमांत किसानों को ऋण																
1ख	एमएसएमई = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)																
1ख(i)	सूक्ष्म उद्यम (विनिर्माण + सेवा) (खादी और ग्रामोद्योग सहित)																
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण + सेवा)																
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण + सेवा)																
1ख(iv)	एमएसएमई को अन्य वित्त (जैसा कि पीएसएल पर मास्टर निदेश में दर्शाया गया है)																
	उपरोक्त 1ख(iv) में से, स्टार्ट-अप को रु.50 करोड़ तक का ऋण)																
1ग	निर्यात ऋण																
1घ	शिक्षा																
1ड़	आवास																
1च	सामाजिक मूलभूत संरचना																
1छ	नवीकरणीय ऊर्जा																
1ज	अन्य																
	उपरोक्त 1ज में से, स्टार्ट-अप को रु.50 करोड़ तक का ऋण (कृषि/एमएसएमई के अलावा)																
2	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उप जोड़ = 1क+1ख+1ग+1घ+1ड़+1च+1छ+1ज**																
3	पीएसएल के तहत कमजोर वर्गों को ऋण																
	उपरोक्त 3 में से, व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को ₹1 लाख तक का ऋण																
4	**गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (4क+4ख+4ग+4घ+4ड़)**																
4क	कृषि																
4ख	शिक्षा																
4ग	आवास																
4घ	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण																
4ड़	अन्य																
5	**गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उप जोड़ = (4क+4ख+4ग+4घ+4ड़)**																
	कुल=2+5																